झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

पत्रांक–04 / स0भू0 प0 सिंहभूम (Hindalco)–38 / 2025.2726(4) / रा0 दिनांक–08-10-2025

राज्यादेश

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
झारखण्ड, पो0–डोरण्डा, राँची।

विषय :– मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक–24.09.2025 में मद संख्या–25 के रूप में लिए गए निर्णय के आलोक में पश्चिमी सिंहभूम जिले के नोवामुण्डी अंचलान्तर्गत मौजा उदाजो, कुदामसदा एवं दुवारसाई में रकबा–271.92 एकड़ गैरमजरूआ भूमि मेसर्स हिन्डालको इन्डस्ट्रीज लिमिटेड को लातेहार जिला में आवंटित चकला कोल ब्लॉक में अपयोजित वन भूमि के एवज में कुल संगणित राशि 29,40,64,485.00 रूपये (उन्तीस करोड़ चालीस लाख चौसठ हजार चार सौ पचासी रूपये) के भुगतान पर क्षतिपूरक वनरोपण हेतु वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड, राँची को स्थायी हस्तांतरण के संबंध में।

आदेशः– स्वीकृत।

नोवामुण्डी अंचल के मौजा–उदाजो, थाना संख्या–728, खाता संख्या–01, प्लॉट संख्या–2160, रकबा–24.00 एकड़, मौजा–कुदामसदा, थाना संख्या–722, खाता संख्या–01, प्लॉट संख्या–01 (P), रकबा–31.50 एकड़, प्लॉट संख्या–223, रकबा–27.50 एकड़, प्लॉट संख्या–540, रकबा–15.00 एकड़, प्लॉट संख्या–616, रकबा–72.80 एकड़ एवं मौजा–दुवारसाई, थाना संख्या–730, खाता संख्या–01, प्लॉट संख्या–983, रकबा–53.50 एकड़, प्लॉट संख्या–989, रकबा–14.00 एकड़ एवं प्लॉट संख्या–991, रकबा–33.62 एकड़ कुल रकबा–271.92 एकड़ किस्म–पुरानी परती एवं टुंगरी भूमि (विस्तृत भूमि विवरणी तालिका–1) को राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची का अधिसूचना सं0–3842 / रा0, दिनांक–24.11.2023 में निहित प्रावधान के आलोक में कुल संगणित राशि 29,40,64,485.00 रूपये (उनतीस करोड़ चालीस लाख चौसठ हजार चार सौ पचासी) रूपये (विस्तृत शुल्क गणना विवरणी तालिका–2) के भुगतान पर मेसर्स हिन्डालको इन्डस्ट्रीज लिमिटेड को क्षतिपूरक वनरोपण हेतु वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड को भूमि हस्तांतरित करने के निमित्त स्थायी भू–हस्तांतरण की स्वीकृति दी जाती है।

कृ.पृ.उ.

तालिका–1

क्र.	अभिलेख सं0	अंचल	मौजा	थाना सं0	खाता सं0	प्लॉट सं0	क्षतिपूरक वनरोपण हेतु प्रस्तावित रकबा (ए0में)	भूमि का किस्म
1.	02/2024–25 (नोवामुण्डी)	नोवामुण्डी	उदाजो	728	01	2160	24.00	पुरानी परती
2.			कुदामसदा	722	01	01	31.50	टुंगरी
3.						223	27.50	टुंगरी
4.						540	15.00	टुंगरी
5.						616	72.80	टुंगरी
6.			दुवारसाई	730	01	983	53.50	पुरानी परती
7.						989	14.00	पुरानी परती
8.						991	33.62	पुरानी परती
						कुल	271.92	

तालिका–2

रकबा (ए0 में)	दर प्रति एकड़ (रूपये में)	सलामी की राशि (रूपये में) बाज़ार दर प्रति एकड़ X कुल एकड़	वार्षिक लगान(सलामी का 5 %) (रूपये में)	लगान का पूंजीकृत मूल्य(लगान X 25 गुणा)	सेस का पूंजीकृत मूल्य(लगान के 145% X 25) (रूपये में)	कुल देय राशि (रूपये में) (3+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
271.92	2,66,200.00	271.92 X 2,66,200.00 = 72385104.00	72385104.00 X 5% = 3619255.20	3619255.20 X 25 = 90481380.00	(3619255.20 X 145%) X 25 = 131198001.00	294064485.00

2. उपर्युक्त स्थायी भू–हस्तांतरण की स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के साथ दी जाती है :–

i. जिस प्रयोजन हेतु भूमि का हस्तांतरण किया जा रहा है, उसमें भूमि की आवश्यकता नहीं रहने अथवा 12 माह की अवधि तक भूमि का उपयोग नहीं किये जाने पर यह भूमि स्वतः राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को वापस हो जाएगी।

ii. उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम प्रस्तावित भूमि के स्थायी हस्तांतरण से संबंधित सभी खातों एवं प्लॉटों में अंकित रकबा का खतियान एवं अन्य राजस्व कागजातों से सत्यापन एवं मिलान कर आश्वस्त होने के पश्चात् ही भूमि की स्थायी हस्तांतरण की कार्रवाई करेंगे।

iii. प्रस्तावित भूमि के स्थायी हस्तांतरण की तिथि को भूमि के वर्तमान मूल्य के आधार पर संगणित राशि (आकलित सलामी, लगान तथा सेस का कुल योग) तथा उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम द्वारा उपलब्ध कराये गए प्रस्ताव में संगणित राशि (आकलित सलामी, लगान तथा सेस का कुल योग) के अंतर की राशि

प्राप्त कर उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम द्वारा वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग, झारखण्ड को भूमि का स्थायी हस्तांतरण किया जायेगा। परन्तु यदि वर्तमान मूल्य के आधार पर संगणित राशि प्रस्तावित भूमि के मूल्य से कम होता है तो अनुमोदित राशि की ही वसूली कर भूमि का स्थायी हस्तांतरण किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में यह राशि अनुमोदित राशि से कम नहीं होगी।

iv. अगर परियोजना से संबंधित दर/सलामी, लगान एवं सेस सहित राशि में अंतर परिलक्षित होता है तो अंतर राशि को संबंधित उपायुक्त द्वारा एकरारनामा करने के पूर्व प्राप्त कर ली जायेगी।

v. उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम यह भी सुनिश्चित कर लेंगे कि यदि भविष्य में किसी प्रकार की देयता होती है तो अंतर राशि मेसर्स हिन्डालको इन्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा भुगतेय होगा। एकरारनामा में यह शर्त भी सन्निहित रहेगा।

vi. वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चाईबासा वन प्रमण्डल, चाईबासा द्वारा क्षतिपूरक वन रोपण हेतु चयनित गैर वन भूमि की उपयुक्तता प्रमाण पत्र (Sutiablity Certificate) जिन शर्त्तों के अधीन निर्गत किया गया है, उन शर्त्तों का अक्षरशः पालन किया जाए।

vii. प्रसंगाधीन मामले में एकरारनामा का निबंधन कराया जाना आवश्यक होगा एवं निबंधन पर निबंधन शुल्क एवं मुद्रांक शुल्क मेसर्स हिन्डालको इन्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा देय होगा।

viii. मेसर्स हिन्डालको इन्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा राशि जमा किये जाने के बावजूद भी यदि जिला प्रशासन द्वारा वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड, राँची को भूमि उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दोषी पदाधिकारियों/कर्मियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी।

ix. अन्य सभी शर्त्तें खासमहाल इस्टेट मैन्युअल में निहित प्रावधानों एवं राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची का अधिसूचना सं0–3842/रा0, दिनांक– 24.11.2023 में निहित प्रावधानों एवं समय–समय पर सरकार द्वारा निर्गत निदेशों के अनुरूप लागू होगी।

8/10/25
(रामवृक्ष महतो)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक– 04/स0भू0 प0 सिंहभूम (Hindalco)–38/2025 2726 (4)/रा0 राँची, दिनांक– 08-10-2025

प्रतिलिपि :– उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. विषय से संबंधित अभिलेख सं0–02/2024–25 (नोवामुण्डी) मूल रूप में संलग्न कर वापस किया जाता है।

अनु0:–यथोक्त।

8/10/25
सरकार के संयुक्त सचिव।

कृ.पृ.उ.

ज्ञापांक– 04/स0भू0 प0 सिंहभूम (Hindalco)–38/2025 2726 (4)/रा0 राँची, दिनांक– 08-10-2025

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, राज्यपाल सचिवालय/मुख्यमंत्री सचिवालय/मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग/वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग/वित्त विभाग, झारखण्ड/विशेष कार्य पदाधिकारी, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड/माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) एवं प्रशाखा–4 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. प्रमण्डलीय आयुक्त, सिंहभूम (कोल्हान) प्रमण्डल, चाईबासा के पत्रांक–274, दिनांक–25.04.2025 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. M/s Hindalco Industries Limited, Vasundhra Mega Mart, 2nd Floor, Near Argora Chowk, PS-Argora, Ranchi-834002 (Jharkhand) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8/10/25

सरकार के संयुक्त सचिव।